

पत्र सं०-2प/वि०-17-02/2026/.....1344...../पं०रा०

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०  
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक १/१/2026

विषय:- सात निश्चय-03 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण करने के संबंध में।  
प्रसंग:- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक-1587 दिनांक 16.12.2025 एवं विभागीय पत्रांक-470 दिनांक 12.01.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे। उक्त संकल्प के माध्यम से सात निश्चय-03 (2025-2030) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत मार्ग-दर्शन निर्गत है।

उक्त संकल्प की कंडिका-7 के अंतर्गत सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living) के तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर कार्य किया जाना है।

आप यह भी अवगत हैं कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध करते हुए गाँवों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पंचायतों को सौंपी गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया है। इसमें स्थानीय स्व-शासन को सुदृढ़ करने तथा ग्राम-स्तर पर जिम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।

क०पृ०उ०

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-22 में ग्राम पंचायत के कार्यों का प्रावधान किया गया है। उक्त धारा की कंडिका-22(XVIII) में ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण के तहत शमशानों एवं कब्रगाहों के अनुरक्षण तथा संचालन का कार्य किया जाना है।

इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण करने तथा शवदाह गृह/मुक्तिधाम स्थल पर आम नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह/मुक्तिधाम स्थल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवस्थित शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।

शवदाह गृह/मुक्तिधाम स्थल के निर्माण का यह उद्देश्य है कि शव की अंत्येष्टि हेतु उचित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके तथा शव के साथ उपस्थित जनों को भी मूल भूत सुविधाएं यथा पेयजल एवं शौच की व्यवस्था किया जा सके, ताकि प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के इसका उपयोग किया जा सके। साथ ही मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र तैयार करने में भी सहूलियत होगी।

उपर्युक्त के आलोक में शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु निम्नवत् अधिसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा:-

1. लकड़ी के माध्यम से अंत्येष्टि हेतु दाह गृह का निर्माण शेड के साथ करना।
2. शवदाह स्थल को पेवर ब्लॉक से आच्छादित करना।
3. आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था शेड सहित करना।
4. पेयजल, शौचालय एवं स्नानागार की व्यवस्था।

ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे प्राथमिकता के आधार पर GPDP में शामिल करेंगी। इसका मानक प्राक्कलन एवं नक्शा अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

इस पर होने वाला व्यय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के मद से प्राप्त राशि द्वारा किया जाएगा। निर्माण के उपरांत इसके संचालन से संबंधित विस्तृत मार्ग-दर्शन पंचायती राज विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा।

अनुलग्नक:-यथा उपर्युक्त

विश्वसभाजन  
2/2/26  
(मनोज कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक-2प/वि०-17-02/2026/1344/पं०रा० पटना, दिनांक 2/2/2026  
प्रतिलिपि:-सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/  
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(मनोज कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक-2प/वि०-17-02/2026/1344/पं०रा० पटना, दिनांक 2/2/2026  
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(मनोज कुमार)  
सचिव

(19)

पत्र सं०-2प/विविध-17-149/2025/.....470/पं०रा०

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,  
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक 12/1/2026

विषय:- ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में अवस्थित शवदाह गृह/मुक्तिधाम की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक-1587 दिनांक 16.12.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे। उक्त संकल्प के माध्यम से सात निश्चय-03 (2025-2030) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत मार्ग-दर्शन निर्गत है।


उक्त संकल्प की कंडिका-7 के अंतर्गत सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living) के तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर कार्य किया जाना है।

इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए ग्राम पंचायतों में अवस्थित एवं संचालित शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित सूचनाएं संग्रहण करने के उद्देश्य से एक Google Sheet तैयार किया गया है।

अतएव अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों में अवस्थित शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित सूचनाएं Google Sheet में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही भौतिक प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक:-यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन

  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव

क०पृ०उ०

18

ज्ञापांक-2प/विविध-17-149/2025/470/पं0रा0 पटना, दिनांक 12/1/2026  
प्रतिलिपि:-सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

निदेश है कि उक्त से संबंधित सूचना समेकित कर यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध  
कराना सुनिश्चित करेंगे।

~~राम~~  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव

250 (A)

निबंधन संख्या पी0टी0-40



सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1947 (श10)

(सं0 पटना 1807) पटना, मंगलवार, 23 दिसम्बर 2025

सं0 5/मं0सं0(ज0शि0)विविध(सुशा0)-11/2015-1587  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

16 दिसम्बर 2025

विषय - सात निश्चय-3 (2025-2030) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के संबंध में।

न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के लिए किये गये कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार का दृढसंकल्प है। इसके लिए वर्ष 2015 से 2020 तक सात निश्चय के तहत विकास के कई काम किये गये। इसके बाद वर्ष 2020 से 2025 तक के लिए सात निश्चय-2 लागू किया गया जिसके तहत विकास के कामों को काफी आगे बढ़ाया गया। अब विकास की गति को और तेज किया जायेगा जिससे अगले 5 वर्षों में बिहार देश के ऊपर के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जायेगा। सभी कामों में केन्द्र सरकार का भी लगातार सहयोग मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 2030 तक के लिए सात निश्चय-3 का गठन किया जा रहा है।

2. सात निश्चय-3 (2025-2030) में प्रस्तावित कार्य :-

(1) दोगुना रोजगार-दोगुनी आय

- (क) राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना।
- (ख) मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत शेष सभी परिवारों की महिलाओं को 10 हजार रुपये देना
  - ❖ इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता देना।
  - ❖ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य दक्षता बढ़ाना।
- (ग) जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की व्यवस्था अन्य उद्यमी योजनाओं से की जायेगी।
- (घ) बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार को विकसित करना।
- (ङ) वर्ष 2020 से 2025 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 सालों में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा करना।

259  
16

(च) नये युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन।

(2). समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार

(क) राज्य में उद्योगों के तेजी से विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नांकित उद्देश्यों के लिए तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन :-

- ❖ बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाना।
- ❖ बिहार को विश्वस्तरीय कार्य स्थल (Work Place) के रूप में विकसित करना।
- ❖ बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(ख) सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना।

(ग) नये बड़े उद्योगों को लगाने के लिए मुफ्त जमीन एवं आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करना।

(घ) राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश सुनिश्चित करना।

(ङ) राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना (EODB- Ease of Doing Business)।

(च) उद्योग विभाग के अन्तर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन।

(छ) स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक नये बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना।

(ज) पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करना तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना।

(3). कृषि में प्रगति-प्रदेश की समृद्धि

(क) वर्ष 2008 से कृषि रोडमैप बनाकर कृषि का विकास किया जा रहा है। अबतक तीन कृषि रोडमैप क्रमशः वर्ष 2008-2012, वर्ष 2012-2017, वर्ष 2017-2023 को क्रियान्वित किया जा चुका है। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोड मैपवर्ष 2024-2029 के काम में और तेजी लाना।

(ख) मखाना रोडमैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

(ग) डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर देना।

(घ) प्रत्येक गाँव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केन्द्र की स्थापना।

(ङ) हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के काम को और आगे बढ़ाना।

(4). उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य

(क) प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना।

(ख) प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना।

(ग) नये उच्च शिक्षा विभाग का गठन।

(घ) पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना।

(ङ) एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करना।

(5). सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन

(क) प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Speciality Hospital) के रूप में विकसित करना।

(ख) जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Super Speciality Hospital) के रूप में विकसित करना।

(ग) नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक-निजी भागीदारी (Public- Private Partnership) को प्रोत्साहित करना।

(घ) प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना।

(ङ) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना।

(च) सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाना।

258 15

(6). मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार

- (क) शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढीकरण
- ❖ शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाना।
  - ❖ नये नियोजित शहरों का विकास।
  - ❖ शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करना।
- (ख) सुलभ संपर्कता का विस्तार
- ❖ 5 नये एक्सप्रेस-वे सड़कों का निर्माण करना।
  - ❖ ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध ढंग से 2-लेन चौड़ीकरण करना।
- (ग) सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा
- ❖ विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढीकरण करना।
  - ❖ सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना।
- (घ) पर्यटन विकास-समृद्ध बिहार
- ❖ बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना।
  - ❖ इको-टूरिज्म एवं ऐतिहासिक-धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना।
  - ❖ पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधाओं का विकास।
  - ❖ राज्य के अंदर महत्वपूर्ण स्थलों पर हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग एवं निर्माण के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना।
- (ङ) युवा शक्ति-खेल में प्रगति
- ❖ पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण करना।
  - ❖ सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
  - ❖ सभी पंचायतों में खेल सुविधाओं का विकास एवं पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को बेहतर बनाना।
  - ❖ राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना।
  - ❖ राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- (च) अनुरक्षण एवं रख-रखाव-पूर्व से निर्मित सड़क, भवन, बिजली, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के दीर्घकालिक प्रभावी अनुरक्षण एवं रख-रखाव की व्यवस्था करना।
- (छ) प्रगति यात्रा
- प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं को तेजी से पूरा करना।
- (ज) सात निश्चय-2 के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा करना

(7). सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living)-आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाना।

3. कार्ययोजना एवं रणनीति-सात निश्चय-3 से संबंधित उपर्युक्त प्रस्तावित कार्य एक सामान्य रूपरेखा है। विभागवार विस्तृत एवं विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण अलग से किया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ससमय योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरविन्द कुमार चौधरी,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1807-571+10-डी0टी0पी0

Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>